

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3377
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नीट यूजी और पीजी के लिए परीक्षा देने वाले छात्र

†3377. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2015 से अब तक नीट-यूजी और नीट-पीजी के लिए परीक्षा देने वाले छात्रों की वर्ष-वार अलग-अलग संख्या कितनी है;
- (ख) वर्ष 2015 से सरकारी और निजी संस्थानों के लिए अलग-अलग चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या और एमबीबीएस की कुल सीटों की संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितनी है;
- (ग) प्रति मिलियन जनसंख्या पर एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
- (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और केन्द्र सरकार के अन्य चिकित्सा संस्थानों में संस्थान-वार और सामाजिक-श्रेणी-वार संकाय सदस्यों की रिक्तियों की स्थिति क्या है;
- (ङ.) क्या सरकार को उन रिपोर्टों की जानकारी है जिनके अनुसार देश में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को संकाय की कमी, वृत्तिका के भुगतान में देरी और अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और
- (च) देश में चिकित्सा शिक्षा का समान विस्तार सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

- (क): वर्ष 2019 से अब तक नीट-यूजी और नीट-पीजी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या अनुलग्नक-1 में संलग्न है।
- (ख) और (ग): सरकार ने देश भर में चिकित्सा शिक्षा की अवसंरचना के विस्तार के लिए मेडिकल कॉलेजों की संख्या के साथ-साथ स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए

महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2014 से आज की तिथि में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 846 हो गई है; यूजी सीटें 51,348 से बढ़कर 1,39,864 और पीजी सीटें 31,185 से बढ़कर 86,360 हो गई हैं। दिनांक 30.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी और निजी संस्थानों सहित मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस सीटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-II में संलग्न है।

(घ) से (च): रिक्त संकाय पदों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और यह उपयुक्त और अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता, आरक्षण रोस्टर, और संस्थानों की स्थान-विशिष्ट अपेक्षाओं जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। एम्स में संकाय की समय पर भर्ती को सुगम बनाने के लिए, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, संकाय के चयन हेतु प्रत्येक संस्थान में स्थायी चयन समितियों (एसएससी) का गठन किया है, 70 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों को संविदात्मक आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान किया है, और शिक्षण संसाधनों के संवर्धन के लिए अतिथि संकाय सदस्य योजना शुरू की है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने चिकित्सा संस्थानों में संकाय की कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा संस्थान (संकाय की अर्हता) विनियम, 2025 तैयार किया है। इसके अतिरिक्त, कंपल्सरी रोटेटरी मेडिकल इंटरनशिप (सीआरएमआई) रेगुलेशन की अनुसूचरी IV में प्रावधान है कि प्रशिक्षुओं को उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित छात्रवृत्तियों का भुगतान किया जाएगा जो संबंधित संस्थान, विश्वविद्यालय अथवा राज्य पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त, एनएमसी ने दिनांक 12.03.2026 की अपनी सार्वजनिक सूचना के माध्यम से लागू विनियामक प्रावधानों, दंडात्मक ढांचे और वृत्ति के भुगतान से संबंधित माननीय न्यायालय के निर्देशों को दोहराया है, जिसमें सभी डीन/प्रिंसिपल, राज्य चिकित्सा परिषदों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालयों (डीएमई) को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने देश में चिकित्सा शिक्षा के एकसमान विस्तार सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएँ लागू की हैं:

- जिला/रेफरल अस्पताल का उन्नयन करते हुए नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, जिसके अंतर्गत अनुमोदित 157 मेडिकल कॉलेजों में से 139 नए मेडिकल कॉलेज कार्यशील हैं।
- एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़/उन्नत करने हेतु केंद्र प्रायोजित योजना।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) योजना में “सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक/ट्रॉमा केयर केंद्रों आदि के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन” से संबंधित घटक है। इस घटक के अंतर्गत 75 परियोजनाओं में से 71 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। दूसरा घटक नए एम्स की स्थापना से संबंधित है, जिसके अंतर्गत 22 एम्स को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

दिनांक 07.08.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3377 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित
अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

वर्ष	नीट-यूजी में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	नीट-पीजी में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या
2019	1410755	143148
2020	1366945	160876
2021	1544273	166249
2022	1764571	182356
2023	2038596	200517
2024	2333297	216093
2025	2209318	230114
2026	1999895	परीक्षा दिनांक 30.08.2026 को आयोजित की जानी निर्धारित है

दिनांक 07.08.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3377 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक-II

दिनांक 30.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार देश में सरकारी और निजी (एम्स और जिपमेर सहित) के अंतर्गत एमबीबीएस कॉलेजों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सरकारी कॉलेज	सरकारी सीटें	निजी कॉलेज	निजी सीटें	कुल कॉलेज	कुल सीटें
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	114	0	0	1	114
2	आंध्र प्रदेश	20	3690	21	3950	41	7640
3	अरुणाचल प्रदेश	1	100	0	0	1	100
4	असम	16	1975	0	0	16	1975
5	बिहार	13	1835	14	2450	27	4285
6	चंडीगढ़	1	200	0	0	1	200
7	छत्तीसगढ़	16	1850	6	1200	22	3050
8	दादरा और नगर हवेली	1	177	0	0	1	177
9	दिल्ली	9	1297	2	250	11	1547
10	गोवा	1	250	0	0	1	250
11	गुजरात	24	4325	19	3500	43	7825
12	हरियाणा	9	1110	10	1900	19	3010
13	हिमाचल प्रदेश	7	846	1	150	8	996
14	जम्मू और कश्मीर	11	1725	1	150	12	1875
15	झारखंड	7	925	4	700	11	1625
16	कर्नाटक	24	4450	51	10955	75	15445
17	केरल	14	1855	22	3849	36	5704
18	मध्य प्रदेश	21	3145	14	3000	35	6145
19	महाराष्ट्र	43	6125	44	7099	87	13224
20	मणिपुर	3	400	1	150	4	550
21	मेघालय	2	100	1	150	3	250
22	मिज़ोरम	1	100	0	0	1	100
23	नागालैंड	1	100	0	0	1	100
24	ओडिशा	15	1975	6	1100	21	3075
25	पुडुचेरी	3	423	7	1600	10	2023
26	पंजाब	6	1025	7	950	13	1975
27	राजस्थान	34	4630	18	3600	52	8230
28	सिक्किम	1	100	1	100	2	200
29	तमिलनाडु	38	5399	41	8650	79	14049
30	तेलंगाना	37	4500	30	5850	67	10350
31	त्रिपुरा	1	200	2	300	3	500
32	उत्तर प्रदेश	51	5950	39	8300	90	14250
33	उत्तराखंड	6	750	4	850	10	1600
34	पश्चिम बंगाल	26	4575	16	2850	42	7425
	कुल	464	66221	382	73643	846	139864
